International Journal of Home Science 2023; 9(2): 281-282

International Journal of Home Science

ISSN: 2395-7476
IJHS 2023; 9(2): 281-282
© 2023 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 23-04-2023
Accepted: 26-05-2023

डॉ. मृदुला भारती
असिस्टेंट प्रोफेसर, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड, भारत

अल्पा यादव
शोध छात्रा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड, भारत

Corresponding Author:
अल्पा यादव
शोध छात्रा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड, भारत

जनजातीय महिलाओं के शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास में लिंग का प्रभाव

डॉ. मृदुला भारती एवं अल्पा यादव

सारांश
प्रस्तुत अध्ययन जनजातीय महिलाओं के शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास में लिंग के प्रभाव से संबंधित है। जिसका उद्देश्य जनजातीय महिलाओं के शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना और देश में लैंगिक असमानता की स्थिति बहुत सोचनीय है। जनजातीय महिलाओं के शैक्षणिक और व्यावसायिक पिछड़ेपन का अध्ययन करके उनका शैक्षणिक व व्यावसायिक विकास करना है।

कूट शब्द: जनजातीय, शैक्षणिक विकास, व्यावसायिक विकास, लैंगिक असमानता, महिला, शिक्षा

प्रस्तावना
भारत आज एक तरफ आर्थिक- राजनीतिक प्रगति की ओर उत्तरोत्तर तीव्र गति से है। इनमें भी आर्थिक विकास की चर्चा हमेशा शुर्खियों में रहती हैं। विकास के इस अंधाधुंध दौड़ में समान अवसर और सबको साथ लेने की आवश्यकता है किन्तु वास्तव में लिंग के आधार पर समान अवसर की बात करना अधूरा सा लगता है। महिलाओं को समान अवसर के लिए अनेक प्रावधानों के बाद भी समान अवसर के लिए जद्दोजहद करनी पद रही है। परिवारों में अभी भी लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा के अवसर नहीं दिये जाते है और शहरों में इनकी स्थिति उच्च शिक्षा के मामले फिर भी संतोषजनक स्थिति में है किन्तु ग्रामीण परिवेश की लड़कियों को अभी भी लड़कों की तुलना में समान अवसर नहीं प्राप्त हो पाते है और उनको कला वाले विषयों तक सीमित कर दिया जाता है और लड़कों को विज्ञान और तकनीक जैसे विषयों की उन्मुख किया जाता है। महिलाओं की पुरुषों की तुलना में कार्यालयों अल्प उपस्थिति से इनके रोजगार अवसर को समझा जा सकता है। देश में लैंगिक असमानता की स्थिति बहुत सोचनीय बनी हुई है। वैश्विक लैंगिक सूचकांक अंतराल सूचकांक ने वैश्विक स्तर पर भी लैंगिक असमानता को समाप्त करने में सैकड़ों वर्ष लगने की संभावना जताई है। इन्हीं दशाओं को देखते हुए अमेरिका की राजनीतिज्ञ हेलरी क्लिंटन ने कहा है कि, "महिलाएँ संसार में सबसे अप्रयुक्त भंडार हैं"।

शिक्षा और व्यावसायिक विकास के स्तर पर जब हम जनजातीय महिलाओं के शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह और भी दयनीय स्थिति में पाते है। देश के विभिन्न हिस्सो में रह रही जनजाति जनसंख्या तक शिक्षा के प्रसार के लिए ईसाई मिशनरी ज़िम्मेदार है। अनुसूचित जनजाति की तरह से ही राजनीतिक दावेदारी और मध्यवर्ग के प्रवेश ने अनुसूचित जनजाति में भी अभिजात्य और अन्यों के बीच महत्वपूर्ण विभाजन कर दिया है। बाह्य पूर्वी क्षेत्र यानि कि परिधि पर स्थित उत्तर-पूर्वी जनजाति समुदाय उपनिवेशी और ईसाई दोनों के ही संपर्क में आए हालांकि आधुनिकता को प्रेरित करने वाली शक्ति जैसे कि ईसाइयों का असर इन पर भिन्न स्तरों पर दिखाई देता है। महिलाओं को औपचारिक शिक्षा की स्थित भी अच्छी दशा में नहीं कहा जा सकता है।

महिलाओं की स्थिति को समझने और लैंगिक समानता की स्थिति को देखने हेतु विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक में आधुनिक समानता के विभिन्न मुद्दों जैसे शिक्षा की उपलब्धता, स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ ही आर्थिक व राजनीतिक भागीदारी जैसे मानकों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकाशन में 153 देश शामिल होते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक- 2020 में भारत 112 वें स्थान पर रहा। वार्षिक रूप से जारी होने वाले इस सूचकांक में भारत पिछले दो वर्षों से 108 वें स्थान पर था। सूचकांक में आइसलैंड को सबसे कम लैंगिक भेदभाव करने वाला देश बताया गया।

लैंगिक असमानता के कारक

महिलाओं के पिछड़ने का प्रमुख कारण पुरुष प्रधान या पितृसत्तात्मक मानसिकता है, जिसके कारण इनको आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है । इसके कारण महिलाएँ उन अवसरों से दूर ही रह जाती हैं जो उनका मिलना चाहिए। तीन तलाक और सबरीमाला जैसे मामलों पर सामाजिक मतभेद पुरुष प्रधान मानसिकता को प्रदर्शित करती है।

देश में सर्वोच्च्च न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति पर महिलाओं का भी समान अधिकार है किन्तु पारिवारिक संपत्ति पर महिला का अधिकार चलन में नहीं रहा है जिसके कारण महिलाओं से भेदभाव किया जाता है।

शैक्षणिक मामलों में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में अच्छी नहीं है । हालांकि पिछले दो दशकों में लड़कियों के विद्यालय नामांकन बढ़ोत्तरी तो हुई है किन्तु उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के मामले में महिलाओं का शैक्षणिक नामांकन पुरुषों के अपेक्षा अच्छा नहीं है।

पंचायती राज व्यवस्था को छोडकर वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है । महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों व उद्यमों में कार्य करने तथा घरों में किए गए अवैतनिक कार्यों को सकाल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता है।

साहित्य समीक्षा

गुप्ता ने डॉ रेनू (2013), समस्या सुलझाने की क्षमता और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच शैक्षणिक उपलब्धि और अनुसूचित जाति- वर्तमान अध्ययन लिंग और जाति के मुख्य और अंतराष्ट्रीय प्रभाव का पता लगाने के लिए आयोजित किया गया । समस्या पर क्षमता और छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि सुलझाने । शैक्षणिक उपलब्धि के बारे में शोध पिछले दो वर्गों आठवीं और नौवीं की वार्षिक परीक्षा के अंक प्राप्त किया । अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के लड़कों और लड़कियों की शैक्षणिक उपलब्धि सूचकांक के स्कोर प्राप्त करने के क्रम में पाये प्रतिशत एक साथ जोड़ा गया । जाति वर्ग के विद्यार्थियों का शैक्षणिक उपलब्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

मीनाक्षी मुखर्ज (1988) के अनुसार पुरुषों से स्वतंत्र स्त्रियों की पहचान की अभिव्यक्ति वैचारिक दृष्टि से संभव है किन्तु व्यावहारिक रूप में नहीं। एक पुरुष की अपेक्षा एक स्त्री के लिए सामाजिक अनुपालन अधिक आवश्यक है । सामान्यतः एक महिला की पहचान स्वयं और अन्य लोगों के द्वारा पुरुषों के साथ एक पुत्री, एक पत्नी और एक माँ के रूप में की जाती है।

मीनाक्षी का मानना है कि परिवार ही स्त्रियों को गुलाम बनाने वाली संस्था नहीं है। समाज की प्रकृति ही ऐसी है कि जिसमें स्त्रियों के साथ अनुदार रूप में व्यवहार किया जाता है।

माग्रेट कारमैक (1779) ने विश्वविद्यालय की 500 छात्राओं के अध्ययन के दौरान पाया कि लड़कियाँ कॉलेज जाना और लड़कों से मित्रता करना चाहती थीं किन्तु वे ये भी चाहती थीं कि उनका विवाह उनके माता-पिता तय करें । वे अपनी नव स्वतंत्रता का भोग भी करना चाहती हैं लेकिन साथ ही साथ पुराने मूल्यों को भी बनाए रखना चाहती हैं।

गोविंद केलकर (1981) ने अपने अध्ययन में पाया कि हरित क्रांति वाले क्षेत्र पंजाब में स्त्रियों को दिन –भर कामकाज के बाद पति की सेवा भी पड़ती है । स्त्री द्वारा उलटकर जवाब देना, ठीक तरह से भोजन न परोसना या कभी –कभी पारिवारिक मामलों में बोलना उनका अपराध माना जाता है और इसके लिए उनकी पिटाई भी होती है।

कॉपर ने कानून की नजर में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है । इस अध्ययन के आधार पर महिलाओं की संवैधानिक स्थिति, प्रभुता, अधिकार, संपन्नता, कानूनी शक्ति इत्यादि को समझा जा सकता है । वस्तुतः महिलाओं की परिस्थिति को उच्च बनाने की दृष्टि से इनके पक्ष में कानून निर्मित किए गए हैं, किन्तु भारतवर्ष में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण भारतीय महिलाओं का एक प्रमुख एवं विचारणीय भाग कानून के प्रावधान से अनभिज्ञ रह गया है फिर भारतीय समाज की उच्च वर्गीय महिलाओं ने इसका लाभ उठाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च किया है।

मिश्र (1981) ने अपने अध्ययन के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है जब तक सामाजिक –सांस्कृतिक बाधाएँ समाप्त नहीं होगी तब तक भारतीय महिलाओं का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है । महिलाओं के प्रति पुरुषों की दृष्टि में परिवर्तन आवश्यक है।

आज भी बहुत से ऐसे ग्रामीणजन हैं जो वासनात्मक निषेध के कारण अपनी बालिकाओं को घर के बाहर नहीं जाने देते और बाल्यावस्था में ही विवाह कर देते हैं। वस्तुतः आज भी महिलाएँ पुरुष की नजर में महिला और मात्र महिला है, इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं है और पुरुषों का वासनात्मक लक्ष्य बनी हुई हैं । इस दृष्टि में परिवर्तन आवश्यक है।

शोध का उद्देश्य

जनजातीय महिलाओं के शैक्षणिक और व्यावसायिक पिछड़ेपन का अध्ययन करके उनके शैक्षणिक व व्यावसायिक विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

सन्दर्भ सूची

1. http://aditi.du.ac.in/uploads/econtent/gender_and_stratification.pdf
2. https://wcd.nic.in/hi/womendevelopment/%E0%A4%B0
3. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/gender-inequality-1
4. https://www.ugc.ac.in/pdfw/Downloads/Abstract/Pdf/PDFWM-2011-12-SC-TRI-7230%
5. Ratna garba- कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर अध्ययन –
6. http://ignited.in/I/a/150652
7. योजना, अक्टूबर 2018